न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–1,

बुलन्दशहर।

उपस्थितः श्री हरकेश कुमार, एच0जे0एस0

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–396 सन् 2019

1. चन्द्रप्रकाश शर्मा पुत्र श्री गोपीचन्द शर्मा
2. कलुआ उर्फ मुकेश
3. यज्ञदत्त शर्मा
4. राहुल शर्मा

पुत्रगण–चन्द्रप्रकाश शर्मा, निवासीगण–ग्राम मैथना जगतपुर, थाना–औरंगाबाद, जिला–बुलन्दशहर।

.....निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार।
2. हरकेश शर्मा पुत्र स्व0 भूलेराम शर्मा, निवासी–ग्राम खैरपुर, थाना–सलेमपुर, जिला–बुलन्दशहर।

.....प्रत्युत्तरदातागण।

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण, निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण, चन्द्रप्रकाश शर्मा आदि द्वारा आपराधिक परिवाद संख्या–1548/2018, हरकेश शर्मा बनाम चन्द्रप्रकाश आदि, थाना–औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर के मामले में विद्वान अवर न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष संख्या–1, जिला–बुलन्दशहर द्वारा पारित तलबी आदेश दिनाँकित–14.09.2018 के विरूद्ध संस्थित किया गया है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या–2/परिवादी हरकेश शर्मा ने विपक्षीगण चन्द्रप्रकाश आदि के विरूद्ध विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसकी बड़ी बहन राजवती की ससुराल के परिवार के चन्द्रप्रकाश उनके पास आते–जाते रहते हैं। दिनाँक–21.01.2015 को चन्द्रप्रकाश उसके पास आये और अपने मकान की मजबूरी दिखाकर दो लाख रूपये उससे माँगे और उसकी एवज़ में दो लाख रूपये का चेक नम्बर–430032 पी0एन0बी0 जटपुरा का उसे दिया। दिनाँक–20.06.2015 को पुनः आये और एक लाख रूपये माँगे और उसकी एवज़ में चेक संख्या–43033 दिया। दिनाँक–02.03.2016 को वह अपने बेटे कलुआ उर्फ मुकेश व बृजेश के साथ उसके घर आये और फिर मजबूरी दिखाते हुए बोले कि दो लाख रूपये चाहिए। उसने एक लाख का चेक

संख्या–43037 से दिया तथा एक लाख रूपया अपनी पत्नी अनीता के सामने दिया। परिवादी ने लड़की की शादी से पहले तकाजा किया तो दिनाँक–21.05.2018 को चन्द्रप्रकाश , कलुवा उर्फ मुकेश, राहुल, यज्ञदत्त उसके घर आये और कहा कि तू हमारी बदनामी करता है, अगर अब आया तो जान से मार देंगे, अब तुम्हारा पैसा नहीं देंगे।

विपक्षी संख्या–2/परिवादी ने परिवादपत्र में उल्लिखित तथ्यों के समर्थन में विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष स्वयं को धारा–200 सीआर0पी0सी0 के अन्तर्गत तथा अनीता व बृजेश शर्मा को धारा–202 सीआर0पी0सी0 के अन्तर्गत शपथ पर परीक्षित कराया।

विद्वान अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत तलबी आदेश दिनाँकित–14.09.2018 के द्वारा चन्द्रप्रकाश को धारा–506,406 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तथा कलुआ उर्फ मुकेश,यज्ञदत्त व राहुल को धारा–506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रथमदृष्टया मामला पाते हुए तलब किया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण ने यह कहते हुए प्रस्तुत निगरानी संस्थित की, कि विद्वान अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध है। जो घटना प्रदर्शित की गयी है, उसका कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अवर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रत्युत्तरदाता ने जो चेक आदि रूपयों में लेन–देन में दिखाये गये हैं,वह सारा रूपया निगरानीकर्ता चन्द्रप्रकाश का था। कोई स्वतन्त्र साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवादी ने बाकी बची धनराशि मांगने पर उसने उक्त लौटायी गयी धनराशि में से कुछ चेकों का बदनीयति से दुरूपयोग कर सही तथ्यों को छिपाकर निगरानीकर्तागण को तलब करा लिया। निगरानीकर्तागण का एक मुकदमा हरकेश शर्मा, अनीता व ब्रजेश के विरूद्ध रूपयों के लेन–देन के सम्बन्ध में ए0सी0जे0एम0 द्वितीय के यहाँ विचाराधीन है। अवर न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश अविधिक है तथा कानून की हत्या के समान है। उपरोक्त आधारों पर आलोच्य तलबी आदेश दिनाँकित–14.09.2018 को अपास्त किये जाने व निगरानी को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परिवाद में जो साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 एवं 202 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध कराया गया है, उसमें अत्यधिक विरोधाभास है।

परिवाद की पत्रावली में जो साक्ष्य धारा–200 व 202 दं0प्र0सं0 कराया गया है, उसमें घटना कारित किये जाने के सम्बन्ध में कोई विरोधाभास नहीं

है,अतः पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से उल्लिखित उक्त तर्क में कोई बल नहीं है।

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्युत्तरदाता ने जो चेक आदि रूपयों में लेन–देन में दिखाये गये हैं, वह समस्त रूपये पुनरीक्षणकर्ता चन्द्रप्रकाश शर्मा का था, जो प्रत्युत्तरदाता संख्या–2 ने विभिन्न तिथियों पर चेक व नकद रूपये के रूप में साक्षीगण के समक्ष लिये थे, जिसमें से कुछ धनराशि प्रत्युत्तरदाता संख्या–2 ने पुनरीक्षणकर्ता संख्या–1 को वापस कर दी थी तथा चेकों का विपक्षी संख्या–2 ने दुरूपयोग किया है।

इस समय ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रथमदृष्टया यह साबित हो सके कि विपक्षी संख्या–2 द्वारा चेक का दुरूपयोग किया गया है।

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कोई स्वतन्त्र साक्षी विपक्षी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परिवादी द्वारा परिवाद में अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 स्वयं को परीक्षित कराया गया है तथा अन्तर्गत धारा–202 दं0प्र0सं0 पी0डब्लू0–1 के रूप में अनीता तथा पी0डब्लू0–2 के रूप में ब्रजेश को प्रस्तुत किया गया है। साक्षी अनीता परिवादी की पत्नी है, परन्तु पी0डब्लू0–2 ब्रजेश परिवादी का पुत्र अथवा अन्य सम्बन्धी नहीं है, अतः पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से प्रस्तुत तर्क में कोई बल नहीं है कि कोई स्वतन्त्र साक्षी परिवाद के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या–2 एवं पुनरीक्षणकर्तागण आपस में रिश्तेदार हैं तथा मधुर सम्बन्ध थे। विपक्षी संख्या–2 ने सम्बन्धों के आधार पर दिनाँक–19.02.2015 को विक्रय अनुबन्ध–पत्र कराने हेतु तीन लाख रूपये लिये थे, जिसमें से विपक्षी संख्या–2 ने दिनाँक–21.02.2015 को 2 लाख रूपये का चेक दिया था तथा दिनाँक–20.06.2015 को 1 लाख रूपये का चेक देकर पुनरीक्षणकर्ता को रूपया वापस कर दिया था, इस आधार पर विपक्षी संख्या–2 द्वारा गलत परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

इस समय पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रथमदृष्टया यह साबित हो सके कि विपक्षी संख्या–2 ने उधार ली गयी धनराशि वापस की है।

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षणकर्तागण ने कोई धनराशि विपक्षी संख्या–2 से नहीं ली है तथा न ही

विपक्षी संख्या–2 का कोई रूपया पुनरीक्षणकर्तागण पर बकाया है।

यह अन्तिम साक्ष्य का प्रश्न है कि विपक्षी संख्या–2 का रूपया पुनरीक्षणकर्तागण पर बकाया है अथवा नहीं ? परिवाद की पत्रावली पर जो साक्ष्य धारा–200 व 202 दं0प्र0सं0 उपलब्ध है, उसके आधार पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण को तलब किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण के ज्ञापन में उल्लिखित कथनों के आधार पर आलोच्य आदेश दिनाँकित–14.09.2018 में कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं है, अतएव पुनरीक्षण बलहीन है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

पुनरीक्षणकर्तागण, चन्द्रप्रकाश शर्मा आदि द्वारा प्रस्तुत दाण्ड़िक पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

दिनाँक–07.02.2020 (**हरकेश कुमार**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–1,बुलन्दशहर।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनाँक–07.02.2020 (**हरकेश कुमार**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–1,बुलन्दशहर।